बिहार शिक्षा परियोजना, गोपालगंज
शाही कॉम्पलेक्स, तृतीय तल्ला,
मिंज स्टेडियम के नजदीक
गोपालगंज–841428

Bihar Education Project,Gopalganj
Shahi Complex, 3rd Floor,
Near Minj Stadium
Gopalganj - 841428

पत्रांक:– BEP/RTE/Pvt. Reg./2019-20/ 567 दिनांक 12 / 02 / 2020

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
SHLOKAA INTERNATIONAL SCHOOL,
BHINGARI ROAD BHORE
BLOCK- BHORE

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण– पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र एवं उसके कम में किये गये निरीक्षण के आलोक में निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, गोपालगंज द्वारा आपके विद्यालय **SHLOKAA INTERNATIONAL SCHOOL, BHINGARI ROAD BHORE, BLOCK- BHORE** को कक्षा **I-VIII** तक संचालन हेतु तीन शैक्षणिक वर्षो **2020–21** से **2022–2023** तक के अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति दी जाती है।

❖ ***प्रदत प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी–***

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति मे कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की "मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009" तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा I में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा, तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा ।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्कीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:–

i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा ।

v. अधिनियम के प्रावधान के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम प्राप्त कर लेंगे।

vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टेड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **325-SSA/GPJ** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय–समय पर मॉंग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयो को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. विद्यालय द्वारा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के अनुपालन में शुल्क विनियमन समिति के आदेश के आलोक में विद्यालय का बेवसाइट खोलते हुए शुल्क से संबंधित जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
20. विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष यू–डायस प्लस प्रपत्र के द्वारा विद्यालय से संबधित ऑकडा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
21. विद्यालय द्वारा सुरक्षा मानक का पालन करते हुए विद्यालय परिसर में अग्निशामक यंत्र एवं सी0सी0टी0भी0 की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा।

12/02/020

विश्वासभाजन
12/02/020
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)
गोपालगंज।

Scanned with CamScanner